

# राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

—: प्रेस-नोट :-

दिनांक :- 07.04.2026

आयोग द्वारा दिनांक 05.04.2026 से दिनांक 06.04.2026 तक आयोजित उप निरीक्षक/प्लाटून कमाण्डर संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा-2025 (गृह (ग्रुप-1) विभाग) के दोनों दिवस के पेपर प्रथम (General Hindi) एवं पेपर द्वितीय (G.K. & G.S.) की कुल 04 मॉडल उत्तरकुंजियाँ आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दी गयी हैं। यदि किसी अभ्यर्थी को मॉडल उत्तरकुंजियों पर कोई आपत्ति हो तो निर्धारित शुल्क के साथ दिनांक 08.04.2026 से दिनांक 10.04.2026 को रात्रि 12:00 बजे तक अपनी आपत्ति ऑनलाईन दर्ज करवा सकता है। आपत्तियाँ आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध मॉडल प्रश्न पत्र के क्रमानुसार ही प्रविष्ट करें। उक्त परीक्षा के मॉडल प्रश्न पत्र आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। आपत्ति प्रामाणिक (Standard, Authentic) पुस्तकों के प्रमाण सहित ऑनलाईन ही प्रविष्ट करें। वांछित प्रमाण संलग्न नहीं होने की स्थिति में आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा। साथ ही उक्त परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों के अतिरिक्त यदि कोई अन्य व्यक्ति आपत्ति दर्ज करवाता है, तो उस पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

आयोग द्वारा प्रत्येक प्रश्न हेतु आपत्ति शुल्क रु. 100/- (सेवा शुल्क अतिरिक्त) निर्धारित किया गया है। अभ्यर्थी SSO Portal पर Login कर Recruitment Portal का चयन कर उक्त परीक्षा के लिए उपलब्ध लिंक (Question Objection) पर Click कर प्रश्नों पर आपत्तियाँ दर्ज कराकर प्रति प्रश्न आपत्ति शुल्क रु. 100/- (सेवा शुल्क अतिरिक्त) के हिसाब से कुल आपत्ति शुल्क ई-मित्र कियोस्क अथवा अभ्यर्थी स्वयं भी Recruitment Portal पर उपलब्ध पेमेंट गेटवे पर भुगतान कर आपत्तियाँ दर्ज कर सकता है। आयोग द्वारा शुल्क वापस लौटाने का प्रावधान नहीं है। शुल्क के अभाव में आपत्तियाँ स्वीकार नहीं की जाएगी। आपत्तियाँ केवल ऑनलाईन ही प्रस्तुत करें। अन्य किसी माध्यम से भेजी गई आपत्तियाँ स्वीकार नहीं की जाएगी। आपत्तियाँ केवल एक बार ही ली जाएगी। ऑनलाईन आपत्तियों का लिंक दिनांक 08.04.2026 से दिनांक 10.04.2026 को रात्रि 12:00 बजे तक ही उपलब्ध है, उसके पश्चात् लिंक निष्क्रिय हो जाएगा।

उपरोक्त ऑनलाईन आपत्ति दर्ज करने में किसी प्रकार की तकनीकी कठिनाई होने पर अभ्यर्थी recruitmenthelpdesk@rajasthan.gov.in पर ई-मेल से अथवा फोन नम्बर 9352323625 व 7340557555 पर संपर्क कर सकते हैं।

(रामनिवास मेहता)  
सचिव